Yours faithfully,

Sd/-

Financial Commissioner (Rev.) to the
Govt. of H.P.

No.Rev.D(F)6-40/84 dated 3rd Dec; 1984
Copy to :

All S.D.Os. (Civil)/Tehsildars in H.P.
The Commissioner Municipal Corporation, Shimla, H.P.
All presidents Municipal Committees in H.P.

Sd/-

Financial Commissioner (Revenue)
to the Govt. of H.P.

No.Rev.D(F)6-40/84
Government of Himachal Pradesh
Department of Revenue
D-Section

From

The Financial Commissioner (Revenue)
Himachal Pradesh, Shimla-2

To

1. The Financial Commissioner (Development) Himachal Pradesh Shimla-2
2. The Secretary (Forests) to the Government of Himachal Pradesh.
3. The Secretary (DSG) to the Government of Himachal Pradesh.
4. All the Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
5. All the Divisional Commissioners in Himachal Pradesh.
6. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.

Dated Shimla-2, the 1st July, 1988

Sub.: Lease of Government land/lease amount.

Sir,

In continuation of this department letter of ever number, dated the 3rd December, 1984 on the above subject, I am directed to say that the Government land in the towns as well as rural areas has squeezed drastically and a stage has come that the Government is finding it difficult to locate land for the developmental activities inititated by the State Government. In view of this position, the Government has decided to discourage granting of leases of Government land to the private individuals. However, in very hard cases, where it appears to the District Collectors that a particular piece of land is essentially required to the leased out and there is no escape from the such grant, the case may be recommended to the State Government for consideration.

2. However, it is clarified that the rate of lease money to be charged from the lessees shall remain unchanged at 10% of the current prevailing highest market value to be worked out on the basis of latest highest sale price of the land of the same classification in the same locality. To make it clear it is clarified that no average cost of the land shall be worked out for the purpose. The highest price of the land shall be ascertained on the basis of the latest highest sale price in the locality. In doing so the importance of the location of the land shall also be kept in view while calculating this price.

3. There may be cases where the latest sale having taken place long before the appointed point of time and there has been no sale in a particular locality in the immediate past, then in such

cases the sale price shall be worked out on the basis of the sales having taken place in the adjoining locality or localities in respect of the land of the same classification and of the same economic importance.

4. This may please be brought to the notice of all concerned and the receipt of this letter may kindly be acknowledge.

5. This also disposes of letter No. LSG-E(3)2/87, dated the 17th May, 1988 from the Local Self Govt. Department.

Yours faithfully

(ATTAR SINGH)
Financial Commissioner (Rev.)
Himachal Pradesh, Shimla-2.

No.REV.-D(F)6-40/84 Dated : Shimla-2, the 1st July, 88.

Copy forwarded to the following for information and necessary action :-

1. All the S.D.O.'s (Civil)/Tehsildars in H.P.
2. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla.
3. All the Presidents of Municipal Committees in H.P.
4. 20 Copies to Guard File.

Financial Commissioner (Rev.)
Himachal Pradesh, Shimla-2.

संख्या राजस्व-डी(जी)6-24/91
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व विभाग

प्रेषक

वित्तायुक्त एवं सचिव (राजस्व),
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2

प्रेषित

समस्त मण्डलायुक्त/उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक शिमला-2, 9 जुलाई, 1991 ।

विषयः-सरकारी भूमि का एक विभाग से दूसरे विभाग को हस्तांतरण करने बारे ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के, हाशिया में दर्शाये गये, पूर्व पत्रों का अधिक्रमण करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार ने मामले पर पुर्नविचार करके यह निर्णय लिया है कि सभी प्रकार की सरकारी भूमि (जो राजस्व विभाग में निहित है) तथा जो भूमि सरकारी विभाग से दूसरे सरकारी विभाग को हस्तान्तरित की जानी हो, के सम्बन्ध में विभिन्न अधिकारियों को स्वीकृति बारे शक्तियां निम्न प्रकार होगी । यह आदेश तत्काल लागू होंगे :-

1. उपायुक्त .. 2-10-0 बीघा तक (अढाई बीघा तक)
2. मण्डलायुक्त .. 2-10-00 बीघा से ऊपर 5-0-0 बीघा तक (अढाई बीघा से ऊपर पांच बीघा तक)
3. वित्तायुक्त (राजस्व) .. 5-0-0 बीघा से अधिक पूर्ण शक्तियां (पांच बीघा से अधिक)

2. उपायुक्तों तथा मण्डलायुक्तों द्वारा जारी भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति पत्रों की प्रतिलिपि प्रत्येक दशा में हिमाचल प्रदेश सरकार, राजस्व विभाग को सूचनार्थ पृष्ठांकित की जावेगी ।

3. उक्त भूमि एक सरकारी विभाग से दूसरे सरकारी विभाग को केवल जनहित कार्यों के लिए ही हस्तान्तरित की जावेगी।

4. यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी प्रकार की सरकारी भूमि (जो राजस्व विभाग में निहित है) तथा जो जनहित

कार्यों के लिए एक सरकारी विभाग से दूसरे सरकारी विभाग को हस्तान्तरित की जानी हो, को इस शर्त पर दिया जाये कि यदि कोई भूमि विभाग की आवश्यकता से अधिक हो जाये अथवा हस्तान्तरित भूमि को उसी प्रयोजन के लिये इस्तेमाल नहीं किया जा रहा हो जिस के लिए वह दी गई थी, तो अधिक (पातनू) भूमि हिमाचल प्रदेश सरकार, राजस्व विभाग को वापिस चली जावेगी ।

5· सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि यदि किसी सरकारी विभाग को, जिसके कब्जे में भूमि है, दूसरे सरकारी विभाग को वह भूमि हस्तांतरित करने में आपत्ति हो तो जनहित कार्यों के लिए ऐसी भूमि हस्तांतरित करने के मामले स्वीकृति हेतु सरकार को अग्रेषित किए जायेंगे ।

6· सरकार साथ ही यह भी निर्णय दोहराती है कि किसी भी सूरत में सुरक्षित पूल की भूमि को हस्तान्तरित न किया जाये । इस संदर्भ में समय-समय पर जारी आदेशों तथा अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जावे ।

भवदीय

ह0
(जे·आर· गाजटा)
उप सचिव (राजस्व),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन सं· राजस्व-डी (जी) 6-24/91 दिनांक शिमला-2, 9 जुलाई, 1991

प्रतिलिपि उप सचिव (सिंचाई) हिमाचल प्रदेश सरकार को उनके पत्र संख्या सिंचाई 11-190/91 दिनांक 6-4-91 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है ।

ह0
उप सचिव, (राजस्व),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

हाशिया :

1· आर· 22-66/59 दिनांक 18-3-59
2· आर· 25-613/59 दिनांक 28-8-61
3· 4-14/72-रैव-डी दिनांक 28-8-72
4· 4-20/72-रैव-ए दिनांक 10-5-76
5· रैव-डी (जी) 6-9/89 दिनांक 30-7-90
6· रैव-डी (जी) 6-9/89 दिनांक 17-1-91

सं· रैब डी(जी) 6-16/86-
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व विभाग
घ-अनुभाग

प्रेषक

1· वित्तायुक्त (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश

2· समस्त उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश,

दिनांक शिमला-2, 8·3·1988

विषय :- भूतपूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता सैनानियों, विधवाओं, अपंग व्यक्तियों आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों व ग्रामीण एकीकरण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आए व्यक्तियों को खोखा/स्टाल बनाने हेतु सरकारी पंचायत भूमि पटटे पर देने हेतु ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के सम संख्यक पत्र दिनांक 8 सितम्बर, 1906 (प्रति संलग्न) में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि 25 वर्ग मीटर सरकारी

भूमि खोखा/स्टाल बनाने के लिए पटटे पर प्रदान करने की सुविधा अब केवल भूतपूर्व सैनिकों, ग्रामीण एकीकरण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आए व्यक्तियों व 50 प्रतिशत से अधिक अपंगता वाले व्यक्तियों को ही दी जाएगी । बाकी मान शर्ते वही रहेंगी ।

2· इस पत्र की पावती भेजें ।

भवदीय
हस्ता/-
उप सचिव ﴾राजस्व﴿
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन सं· यथोपरि दिनांक शिमला-2, 8·3·88

प्रतिलिपि इस विभाग के सम संख्यक पृष्ठांकन दिनांक 8 सितम्बर, 1986 के संदर्भ में निम्नलिखित को प्रेषित हैः-

1. अवर सचिव ﴾सामान्य प्रशासन विभाग﴿ हिमाचल प्रदेश सरकार
2. अध्यक्ष, भूतपूर्व सैनिक बोर्ड, हमीरपुर
3. निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2
4. निदेशक, कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला
5. निदेशक, लोक सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला
6. गार्ड फाईल ।

हस्ता/-
उप सचिव ﴾राजस्व-1﴿
हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रतिलिपि पत्र संख्या रैब-डी﴾जी﴿6-16/86 दिनांक 8 सितम्बर, 1986 प्रेषक वित्तायुक्त ﴾राजस्व﴿ हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा समस्त मण्डलायुक्त तथा समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश को प्रेषित है ।

विषय :- भूतपूर्व सैनिकों स्वतंत्रता सैनानियों विधवाओं अपंग व्यक्तियों आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों व ग्रामीण एकीकरण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आए व्यक्तियों को खोखा/स्टाल बनाने हेतु सरकारी पंचायत भूमि पटटे पर देने हेतु ।

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में बसे भूतपूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता सैनानियों, विधवाओं, अपंग व्यक्तियों, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों व ग्रामीण एकीकरण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आए व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान हेतु अपना छोटा मोटा व्यवसाय चलाने के लिए उनके गांव के समीप सडक के किनारे 25 वर्ग मीटर तक सरकारी पंचायत भूमि देने की स्वीकृति राज्यपाल हिमाचल प्रदेश निम्नलिखित शर्तो पर सहर्ष प्रदान करते है :-

﴾क﴿ यह भूमि उन्हें खोखा/स्टाल बनाने के लिए 30 वर्ष के लिए पटटे पर दी जाएगी ।
﴾ख﴿ पटटे की दर इस भूमि की प्रचलित उच्चतम बाजारी कीमत का 18 प्रतिशत वार्षिक होगी तथा इसका नवीनीकरण प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात उस समय की प्रचलित उच्चतम बाजारी कीमत पर निर्धारित होगा ।
﴾ग﴿ वे इस भूमि पर कोई पक्का खोखा/स्टाल नहीं बनाएंगे ।
﴾घ﴿ पटटे की अवधि समाप्त होने पर भूमि राजस्व विभाग को वापिस हो जाएगी ।
﴾ड﴿ पटटा रदद होने की सूरत में उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा ।
पटटा सम्बन्धित व्यक्तियों की आर्थिक अवस्था की प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा।

आपसे अनुरोध है कि आप उक्त निर्णय का व्यापक प्रचार करते हुए इसका कार्यान्वयन [illegible] लोग इसका लाभ उठा सकें ।